



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092020-221814
CG-DL-E-18092020-221814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942

No. 249]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

सं. यू- 23013/12/2017-एल.डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड मेसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड की स्थापना में विभिन्न नौकरियों / कार्यों में अनुबंध श्रम के उन्मूलन के सवाल पर विचार करने के लिए एतद्वारा समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

I	श्री सुरेंद्र कुमार पांडेय भारतीय मजदूर संघ, क्वार्टर 107 पोस्ट -विश्रामपुर कोलियरी डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर, छत्तीशगढ़	सदस्य
II	श्री ब्रिज बिहारी शर्मा भारतीय मजदूर संघ, CTPS रोड, दुगदा, डिस्ट्रिक्ट बोकारो, झारखण्ड	सदस्य
III	श्री शिव कुमार यादव अध्यक्ष कोयला श्रमिक सभा, WCL हेडक्वार्टर, सिविल लाइन्स, कोल् एस्टेट, नागपुर	सदस्य
IV	श्री बी.के. भाटिया, संयुक्त महासचिव फेडरेशन ऑफ़ इंडिया मिनरल इंडस्ट्रीज (FIMI), FIMI हाउस, B-311, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज -I, नई दिल्ली - 110020	सदस्य
V	उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मुंबई	सदस्य संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:-
 “अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रा लिमिटेड मुंबई में अनुबंध श्रम प्रणाली के नियमितीकरण के लिए नौकरियों / कार्यों का अध्ययन करने के लिए और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिक का रोजगार निषिद्ध है या नहीं।”
4. समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Central Advisory Contract Labour Board)
RESOLUTION

New Delhi, the 18th September, 2020.

No. U-23013/12/2017-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of prohibition of contract labour in various jobs/works of aerobridge operation and maintenance in the establishment of M/s. Mumbai International Airport Pvt. Ltd. Mumbai.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

i.	Sh. Surendra Kumar Pandey Bharatiya Mazdoor Sangh Qurt. 107 Po-Vishrampur Koliyari District Surajpur, Chhatisgarh	Member
ii.	Shri Brij Bihari Sharma Bharatiya Mazdoor Sangh CTPS Road, Dugda, District Bokaro, Jharkhand	Member
iii.	Shri Shiv Kumar Yadav President Koyala Shramik Sabha WCL Headquarter, Civil Lines, Coal Estate, Nagpur	Member
iv.	Shri B.K. Bhatia Joint Secretary General Federation of India Mineral Industries (FIMI), FIMI House, B-311, Okhala Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020	Member
v.	The Dy. CLC(C), Mumbai	Member Convener

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of aerobridge operation and maintenance in International Airport Pvt. Ltd. Mumbai and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the said establishment be prohibited in the jobs/works of aerobridge operation and maintenance keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

4. The Committee shall visit and give its recommendations within Six months.

AJAY TEWARI, Jt. Secy.